

# वस्त्र निर्माण में जैविक कपास के प्रयोग की उपयोगिता (निमाड़ क्षेत्र के विशेष सन्दर्भ में)

**मनोहर दास सोमानी**

प्राध्यापक,

वाणिज्य संकाय,

माता जीजाबाई शासकीय

खाद्य, बीज

महाविद्यालय,

मोती तबेला, इन्दौर. (म.प्र.)

**यशवंत चौधरी**

शोधार्थी,

वाणिज्य संकाय,

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,

इन्दौर, म.प्र.

## सारांश

कपास की कृषि मानव सभ्यता एवं भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है भारतीय संस्कारों में कपास सदैव अग्रिम रहा है। ईश्वर की आराधना में सबसे प्रमुख आरती के भावों में प्रकाश कपास ही देता है। यही कारण है कि कपास आदिकाल से ही प्रचलित है। कपास का वर्णन ऋग्वेद में और मनुस्मृति में भी किया गया है। सामाजिक स्तर पर भी कपास आवश्यक है जैसे विवाह, मंगल उत्सव, त्योहारों एवं अन्य सामूहिक, सामाजिक कार्यक्रमों आदि को भी सम्पन्न करता है।

रेशे वाली फसलों में कपास का प्रमुख स्थान है। सूती कपड़ों के निर्माण में कपास ही एकमात्र साधन है। कपास के रेशे से वस्त्र बनाये जाते हैं कपास को रजाई तथा गद्दों में भरा जाता है। कपास के रेशे से धागे बनाये जाते हैं तथा अन्य कृत्रिम रेशों के साथ मिलाकर वस्त्र बनाये जाते हैं। कपास के प्रकारों में प्रथम – सामान्य कपास (रासायनिक) एवं द्वितीय – जैविक कपास है।

जैविक कपास से पर्यावरण व स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। जैविक कपास से किसी भी प्रकार से शरीर पर चर्मरोग, सम्बन्धित बीमारियाँ नहीं होती हैं। इस कपास का बाजार मूल्य सामान्य कपास से अधिक रहता है। जैविक कपास की कृषि करने वाले कृषक स्वयं आत्मनिर्भर होते हैं और कृषक को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना भी नहीं करना पड़ता है क्योंकि जैविक कपास की कृषि में खाद बीज एवं दवाईयाँ आदि कृषक स्वयं ही तैयार करता है और इसका उपयोग समय-समय पर करता है।

**मुख्य शब्द** : जैविक कपास, वस्त्र निर्माण।

**प्रस्तावना**

भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कपास न केवल लाखों कृषकों की आजीविका का स्रोत है बल्कि यह औद्योगिक गतिविधि, रोजगार और निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण कपड़ा उद्योग का प्रमुख प्राकृतिक रेशा (फाइबर) है। कपास से वस्त्र बनाने में कम से कम 8000 वर्षों से उपयोग में आ रहा है। भारत में अनुमानतः 470 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर रेशे का उत्पादन वर्ष 2004-2005 में हुआ है। जो कि वर्ष 2016-17 में बढ़कर 568 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर रहा है। कभी भारत की कपड़ा मिलों को कपास के आयात पर निर्भर रहना पड़ता था। पिछले कुछ वर्षों के गहन अध्ययन से शासन के कार्यक्रमों जैसी विषय योजनाओं के आरम्भ होने से अपना देश कपास उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है। वर्ष 2000 में आरम्भ किए गए कपास प्रौद्योगिकी मिशन से कपास के उत्पादन और उपज में सुधार होने से, अधिक मात्रा में, विश्व बाजार में निर्यात भी होने लगा है।

भारत के घरेलू वस्त्र उद्योग को रियायती दर पर रेशा (कपास) को सुरक्षा प्रदान करने में कपास की अहम भागीदारी है। देश में कपास की पर्याप्त उपलब्धता होने से वस्त्र उद्योग को अन्तरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने में कपास की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस प्रकार महत्वपूर्ण प्राकृतिक रेशा (फाइबर) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों के रोजगार का जरिया है।

कपास उत्पाद में वर्ष 2011-12 के लिए भारत को विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक होने का दर्जा हासिल हुआ है, कपास उत्पादन में बीते दशक में हुई प्रगति की वजह से ही यह सम्भव हुआ है। आज भारत कपास उत्पादन में विश्व के प्रथम तीन राष्ट्रों में आता है। वर्ष 2016-17 में विश्व में कुल कपास उत्पादन का लगभग 37 प्रतिशत भारत में उत्पादित हुआ है। भारत में कपास उत्पादन का क्षेत्रफल 10.50 मिलियन हेक्टेयर है, जो विश्व का 29.26 प्रतिशत

है। भारत सरकार द्वारा शुरु की गई कपास उत्पाद की विशेष योजनाएं सराहनीय हैं।

#### शोध के उद्देश्य

शोध का उद्देश्य यह भी है कि जैविक कपास उत्पाद की कृषि प्रणाली एवं वस्त्र निर्माण में क्या सुझाव, सम्भावनाएँ एवं समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं जिससे इसकी कार्यप्रणाली प्रभावित हुई है।

जैविक कपास उत्पाद के निम्न प्रमुख उद्देश्य शामिल किये गये हैं :-

1. जैविक कपास का उत्पादन किस प्रकार से अधिक लाभदायक हो सकता है।
2. पश्चिम निमाड़ में जैविक कपास की कृषि उत्पादन की सम्भावनाओं का अध्ययन करना।
3. जैविक कपास का उपयोग किस प्रकार किया जाता है।
4. जैविक कपास के उत्पादन की क्या समस्याएँ हैं, जिससे इस सम्बन्ध में सुझाव दिये जा सकें।
5. जैविक कपास के उत्पाद से रोजगार की सम्भावनाओं को बढ़ाना है।
6. जैविक कपास उत्पाद को अधिक कीमतों पर बेचना है।
7. कपास उत्पाद को बाजार एवं अन्य देशों को निर्यात करना।
8. वस्त्र निर्माण की बीमारू मिलों को पुनः प्रारम्भ करना जिससे रोजगार के क्षेत्र में वृद्धि हो सके।
9. नये उत्पाद एवं नई प्रक्रियाओं का विकास करना है।

भारतीय वस्त्र उद्योग, अपनी सकल (समग्र) मूल्य श्रृंखला, कपास की कच्ची सामग्री का आधार तथा सशक्त निर्माण क्षमता के कारण विश्व के बड़े उद्योगों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वस्त्र उद्योग की पहचान इसके व्यापक विस्तार में है जहां एक ओर गहन पूँजी वाले मिल उद्यम हैं और दूसरी ओर सूक्ष्म कारीगरी वाले हस्त उद्योग हैं। मिल क्षेत्र, 50 मिलियन स्पिडल्स और 8,42,000 रोटर्स से अधिक की संस्थापित क्षमता वाली 3400 वस्त्र मिलों के साथ भारत, का विश्व में दूसरा स्थान है। हस्तशिल्प, हथकरघा और छोटे स्तर की विद्युतकरघा इकाई जैसे परम्परागत क्षेत्र, ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में लाखों लोगों के लिए रोजगार के सबसे बड़े स्रोत हैं।

भारतीय वस्त्र उद्योग कृषि एवं भारत की संस्कृति तथा परम्पराओं के साथ प्राकृतिक (नैसर्गिक) सम्बन्ध है जो घरेलू तथा निर्यात बाजारों उपयुक्त दोनों उत्पादों के बहुआयामी विस्तार को सम्भव बनाते हैं। वस्त्र उद्योग, मूल्य के रूप में उद्योग के (आउटपुट) में 7 प्रतिशत भारत की सकल घरेलू उत्पाद में 2 प्रतिशत एवं भारत की निर्यात आय में 15 प्रतिशत का योगदान देता है। प्रत्यक्ष रूप से 45 मिलियन (वस्त्र मंत्रालय रिपोर्ट वर्ष 2017-18 के अनुसार) से अधिक लोगों को रोजगार देने वाला भारतीय वस्त्र उद्योग, भारत में रोजगार सृजन के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है।

#### भारतीय सूती वस्त्र के लाभ

1. कपास का रेशा-रोधी क्षार है और क्षार द्वारा रेशा नष्ट नहीं होता है, जो वस्त्रों की धुलाई के लिए लाभकारी होता है। रंगाई, छपाई और अन्य प्रसंस्करण आदि।
2. कपास उत्पाद पर्यावरण संरक्षण के लिए लाभकारी होता है। कपास का रेशा, प्राकृतिक रेशा है। शुद्ध सूती वस्त्र और त्वचा किसी भी उत्तेजना के बिना स्पर्श (सम्पर्क), यह मानव शरीर के लिए अच्छा होता है।
3. कपास रेशे में आर्द्रता सन्तुलन के कारण शुद्ध कपास का रेशा आसपास के वातावरण में नमी को अवशोषित कर सकते हैं, इसकी नमी सामग्री 8-10 प्रतिशत होती है, और यह नरम और कड़ा नहीं लगता है जब त्वचा को स्पर्श हो। यदि आर्द्रता बढ़ जाती है, तब आसपास का तापमान अधिक हो जाता है तब रेशे में पानी का तत्व (घटक) सभी वाष्पित और अपव्यय कर देना चाहिए जिससे कपड़े में पानी का सन्तुलन बना रहता है। जिससे आराम मिलता है।

#### स्वतन्त्रता पश्चात् सूती वस्त्र उद्योग पर प्रभाव

भारत के विभाजन के बाद सूती वस्त्र उद्योग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। विभाजन के फलस्वरूप 80-90 करोड़ गज कपड़े का बाजार जो इसके पूर्व देशी बाजार का ही एक अंग था, भारत के हाथ से निकल गया। साथ ही कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्र का अधिकतर भाग (लगभग 40 प्रतिशत भाग) पाकिस्तान में चला गया जबकि सूती वस्त्र के कुल प्रायः 394 कारखानों में से 380 कारखाने भारत में ही रह गये। कपास उत्पादक भू-क्षेत्र का पाकिस्तान में चले जाने के कारण भारतीय कारखानों को कपास की कमी का सामना करना पड़ा। इससे भारतीय वस्त्र उद्योग की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कपास नियोजक देश के लिये आयात पर आश्रित होने के लिये बाध्य होना पड़ा। परिणामतः विभाजन के पश्चात् भारत मुख्य रूप से कपास का आयातक देश बन गया। देश में लम्बी रेशे वाली कपास का मुख्य तौर से अभाव हो गया। इस प्रकार विभाजन के बाद देश के वस्त्र उद्योग के समक्ष कपास विशेषकर लम्बी रेशे वाली कपास, प्राप्त करने की समस्या बहुत ही गम्भीर हो गयी। प्रारम्भ में पाकिस्तान के साथ राजनैतिक मन-मुटाव के कारण भी कपास प्राप्त करने में बहुत अधिक कठिनाई होने लगी। सितम्बर, 1949 में भारतीय रुपये के अवमूल्यन (पाकिस्तान ने अपने रुपये का अवमूल्यन 1956 में किया) ने इस कठिनाई को और बढ़ा दिया। इस समस्या के समाधान के लिए पाकिस्तान से कई व्यापारिक समझौते भी किए गए किन्तु दुर्भाग्यवश सफल नहीं हो सके।

#### जैविक कपास का वस्त्र निर्माण में प्रयोग

पूर्णतया जैविक कपास संसाधन श्रृंखला में यह महत्वपूर्ण है कि कपास प्रदूषित न हो और रसायनिक कपास से जैविक कपास को अलग रखे। जैविक कपास और रसायनिक कपास को कातने और बुनने प्रक्रिया मिल के संसाधन में एक ही मशीनरी पर करते हैं। यह

महत्वपूर्ण है कि जैविक कपास का उपयोग करते समय मशीनरी को साफ-स्वच्छ करें। कुछ बोल्ट वाले कपास में रंग नहीं लगाये जाते हैं। जैविक कपास वस्त्र का बाजार मुख्यतया यूरोप (जर्मनी, स्वीट्जरलैण्ड, यूके, और स्वीडन) यु.एस.ए. और जापान में है।

सर्वप्रथम जैविक कपास का संसाधन उपयोग कपड़े में 100 प्रतिशत जैविक रेशे के द्वारा किया जाता था। हाल ही में कुछ वस्त्र उद्योग ने निश्चय किया है कि कुछ (5-10) प्रतिशत जैविक धागा पूरी श्रृंखला में मिलाये, न की पूर्ण जैविक धागा मिलाये। इससे जैविक कपास रेशों की मांग अधिक बढ़ जायेगी। कम्पनी अपने उपभोक्ता को सलाह दे कि जैविक कपास की खेती को सहयोग दे जिससे नियम का प्रतिरूप सुधरेगा।

वस्त्र या कपड़ा एक मानव निर्मित वस्तु है जो प्राकृतिक या कृत्रिम तन्तुओं के नेटवर्क से निर्मित होती है। इन तन्तुओं को सूत या धागा कहते हैं। धागों का निर्माण कच्चे ऊन, कपास (रुई) या किसी अन्य पदार्थ को करघे की सहायता से किया जाता है।

**जैविक कपास का उपयोग निम्नलिखित वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है**

पहनने के कपड़े बनाने में, कार्पेट, परदा, तौलिया, मेजपोश, चादर, झण्डा बनाने में, गुब्बारे, उड़नछतर, तंबू, टोकरी, झोला (बैग), छन्ना (फिल्टर), जाली (मच्छरदानी), रुमाल, और किसी द्रव्य जैसे पानी को लाने-ले जाने के लिए 'पाइप' बनाने हेतु आदि।

**भारतीय सूती वस्त्र उद्योग का इतिहास**

भारत में आधुनिक ढंग की सर्वप्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना वर्ष 1818 में कोलकत्ता के समीप फोर्ट ग्लास्टर नामक स्थान पर की गयी थी, किन्तु यह असफल रही। वस्त्र उद्योग की पुनः स्थापना वर्ष 1851 में मुम्बई में एक मिल (कारखाना) स्थापित किया गया, वह भी असफल रही। सबसे पहला आधुनिक कारखाना वर्ष 1854 में मुम्बई में ही कावसजी डाबर द्वारा खोला गया, और वर्ष 1856 में उत्पादन कार्य प्रारम्भ किया गया। प्रथम युद्धकाल वर्ष 1914 में इस उद्योग ने काफी उन्नति की और इस समय अनेक मिलों की स्थापना हुई। परन्तु बाद में वस्त्र उद्योग में मन्दीकाल होने से सही ढंग से चल नहीं पाये। फलस्वरूप वर्ष 1926 में इस उद्योग को संरक्षण प्रदान किया गया यह संरक्षण 21 साल तक चलता रहा। वर्ष 1947 से संरक्षण हटा लिया गया। द्वितीय महायुद्ध के संरक्षण ने इस उद्योग को फलने-फूलने का अवसर प्रदान किया। द्वितीय महायुद्ध के समय जापान से व्यापारिक सम्बन्ध टूटने के कारण यह उद्योग उन्नति की चरम सीमा पर पहुँच गया। वर्ष 1946 में सूती वस्त्र मिलों की संख्या लगभग 421 थी जिनका कुल उत्पादन 485 करोड़ गज था। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत के विभाजन के फलस्वरूप रूपये के अवमूल्यन के कारण इस उद्योग को काफी धक्का लगा। कच्ची रुई की पूर्ति के अभाव में कई मिले बन्द हो गयी क्योंकि श्रेष्ठ उत्पादन करने वाले क्षेत्र का अधिकांश भाग पाकिस्तान में चला गया। तदपश्चात् कच्ची रुई के आयात एवं घरेलू उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि

होने के कारण सूती वस्त्र उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई इस कारण वर्ष 1952 में वस्त्र उद्योग से नियन्त्रण हटा लिया गया। वर्ष 1988 तक भारत में सूती वस्त्र उद्योग से सम्बन्धित 1227 (1995 में) मिलों की स्थापना की जा चुकी थी, जिसमें 771 मिलों में केवल सूत की कताई होती थी, जबकि 283 मिलों में कताई के साथ ही वस्त्र निर्माण करने का काम करती थी।

भारतीय सूती वस्त्र (कपड़ा) उद्योग की एक जटिल त्रि-स्तरीय अवसंरचना है -

1. हाथ की कताई और बुनाई का खादी क्षेत्र।
2. मध्यवर्ती, हथकरघा का श्रम गहन क्षेत्र।
3. मिल क्षेत्र जो बड़े पैमाने पर होता है, पूँजी गहन और जटिल होता है।

संगठन सूती/मानव निर्मित रेशा वस्त्र उद्योग के अनुसार रोजगार (लगभग एक मिलियन कामगारों) और एकांकों की संख्या की दृष्टि से सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिल उद्योग देश में सबसे बड़ा संगठित उद्योग है। इसके अतिरिक्त अनेक सहायक उद्योग हैं - मशीनों, सहायक उपकरणों, भण्डारण, सहायक अनुबन्धी और रसायनों का विनिर्माण करने वाले उद्योग भी इस क्षेत्र पर निर्भर हैं। वर्ष 2008 की स्थिति के अनुसार देश में 35.01 मिलियन तन्तुओं और 461,000 रोटरो, 56,000 करघों की संस्थापित क्षमता की संख्या थी। वर्ष 2008-09 में 1774 मिलें (गैर-लघु उद्योग) थीं, वर्ष 2009-10 में 1834 मिलें (गैर-लघु उद्योग) थीं, तथा वर्ष 2010-11 में 1896 मिलें (गैर-लघु उद्योग) थीं, जो वर्ष 2011-12 में 1946 मिलें (गैर-लघु उद्योग) थीं, जो वर्ष 2016-17 वर्तमान में बढ़कर 3400 से अधिक मिलें (गैर-लघु उद्योग) वर्तमान में कार्यरत हैं। 3400 वस्त्र मिलों के साथ विश्व में दूसरे स्थान पर है।

**सूती वस्त्र उद्योग**

सूती वस्त्र उत्पादन की दृष्टि से मध्यप्रदेश का स्थान महाराष्ट्र एवं गुजरात के बाद तीसरा स्थान है, इन्दौर राज्य का सबसे बड़ा कपड़ा उत्पादन केन्द्र है। वर्धा एवं पूर्णा नदी की घाटियों में कपास की खेती की जाती है।

सूती कारखानों का संकेन्द्रण पश्चिमी मध्यप्रदेश में है जिनमें इन्दौर, ग्वालियर व उज्जैन प्रमुख हैं। राज्य का कुल उत्पादन 40 हजार वर्ग मीटर है।

**मध्यप्रदेश में उद्योगों की स्थिति**

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग राष्ट्रीय कपड़ा उद्योग निगम के अन्तर्गत शामिल निम्न उद्योग हैं -

1. दि न्यू भोपाल टेक्सटाइल लिमिटेड, भोपाल। इसकी स्थापना वर्ष 1938-39 में हुई थी, और इस उद्योग में सूती कपड़ा एवं सूत कार्य के लिए प्रसिद्ध है।
2. हीरा मिल्स लिमिटेड, आगरा रोड, उज्जैन इसकी स्थापना वर्ष 1934-35 में हुई थी, और यह उद्योग में सूती कपड़ा एवं सूत के कार्य के लिए जाना जाता है।
3. स्वदेशी कॉटन एण्ड फ्लोअर मिल्स लिमिटेड, शीलनाथ कैंप, इन्दौर इस उद्योग की स्थापना वर्ष

1934-35 में हुई थी, और इस उद्योग में सूती कपड़ा एवं सूत के लिए जाना जाता है।

4. इन्दौर मालवा यूनाइटेड मिल्स लिमिटेड, न्यू देवास रोड, इन्दौर, इस उद्योग की स्थापना वर्ष 1907-08 में हुई थी, और इस उद्योग में सूती कपड़ा एवं सूत कार्य के लिए प्रसिद्ध है।
5. कल्याण मिल्स लिमिटेड, 15 शीलनाथ कैंप, इन्दौर, वर्ष 1934-35 इस उद्योग की शुरुआत हुई थी, और यह उद्योग सूती कपड़ा एवं सूत के लिए जाना जाता है।
6. बुरहानपुर ताप्ती मिल्स लिमिटेड, बुरहानपुर जिला, बुरहानपुर, वर्ष 1906-07 में इसकी स्थापना हुई थी, और यह उद्योग सूती कपड़ा एवं सूत कार्य के लिए प्रसिद्ध है।

#### राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग

1. सनावद कताई मिल. सनावद जिला पश्चिम निमाड खरगोन, इस उद्योग की स्थापना वर्ष 1963-64 में हुई और इस उद्योग का कार्य सूती धागा बनाना है।

#### भारत में वस्त्र उद्योग का निर्यात

भारतीय वस्त्र उद्योग, दुनिया में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा विनिर्यात और निर्यातक देश है। भारतीय वस्त्र एवं क्लोदिंग (परिधान) उद्योग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एक मुख्य आधार है। भारत के कुल निर्यात में वस्त्र और अपैरल का हिस्सा 15 प्रतिशत है जो काफी भारत की वस्त्र और अपैरल में वैश्विक व्यापार की हिस्सेदारी 5 की प्रतिशत है। यह उद्योग रोजगार के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह प्रत्यक्ष रूप से 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। महिलाओं तथा ग्रामीण लोगों सहित सम्बन्धित क्षेत्र में 6 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं मेक इन इण्डिया, स्किल इण्डिया, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण युवा रोजगार की प्रमुख पहलों के साथ इस क्षेत्र का पूर्ण रूप से तालमेल बना हुआ है। वस्त्र और अपैरल का निर्माण निम्न तालिका क्रमांक 01 से स्पष्ट किया जा रहा है।

तालिका क्रमांक 01  
भारतीय वस्त्र का निर्यात

| वर्ष                                   | 2014-15                      | 2015-16                      | 2016-17                      | 2016-17<br>(अप्रैल-नवम्बर)   | 2017-18<br>(अप्रैल-नवम्बर)   |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| निर्यात                                | मिलियन<br>अमरीकी<br>डॉलर में | मिलियन<br>अमरीकी<br>डॉलर में | मिलियन<br>अमरीकी<br>डॉलर में | मिलियन<br>अमरीकी<br>डॉलर में | मिलियन<br>अमरीकी<br>डॉलर में |
| भारतीय वस्त्र एवं परिधान               | 37,655                       | 36,257                       | 36,007                       | 22,201                       | 23,030                       |
| हस्तशिल्प                              | 4,537                        | 3,410                        | 3,657                        | 1,324                        | 1,149                        |
| हस्तशिल्प सहित कुल वस्त्र एवं क्लोदिंग | 42,192                       | 39,667                       | 39,664                       | 23,525                       | 24,224                       |
| भारत का सकल कुल निर्यात                | 3,10,338                     | 2,62,290                     | 2,76,280                     | 1,75,411                     | 1,94,971                     |
| सकल निर्यात में वस्त्र का प्रतिशत      | 13.6                         | 15.1                         | 14.4                         | 13.4                         | 12.4                         |

स्रोत - वाणिज्य विकास, एनआईसी एंड, डीजीसीआई एंड, एस कोलकाता (अनन्तिम आंकड़े).

उपरोक्त तालिका के समकों से यह निष्कर्ष निकलता है कि भारत से हस्तशिल्प सहित वस्त्र अपैरल उत्पादों का निर्यात वर्ष 2014-15 के दौरान 40.7 बिलियन अमरीकी डॉलर से घटकर वर्ष 2015-16 के दौरान 40 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है। भारत की सकल निर्यात में इसका हिस्सा 2014-15 में 13.6 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 15.1 प्रतिशत हो गया है। वस्त्र एवं क्लोदिंग की हिस्सेदारी वर्ष 2017-18 (अप्रैल-नवम्बर) में 12.4 प्रतिशत है जो काफी अधिक है। भारत की वस्त्र एवं परिधान में वैश्विक व्यापार की हिस्सेदारी 5 प्रतिशत की है।

हथकरघा तथा हस्तशिल्प सहित भारतीय वस्त्र उत्पाद, 100 से अधिक देशों को निर्यात किए जाते हैं। यद्यपि यू.एस.ए. तथा ईयू, भारत के वस्त्र और अपैरल निर्यात देशों में संयुक्तअरब, अमीरात, चीन, बांग्लादेश, ब्राजील, हांगकांग, कनाडा, श्रीलंका, सऊदी अरब,

रिपब्लिक ऑफ कोरिया, तुर्की, पाकिस्तान तथा मिस्त्र शामिल हैं।

#### वस्त्र उद्योग आयात

भारत वस्त्र तथा परिधान का प्रमुख निर्यातक देश है और निर्यात, आयात से कहीं अधिक है। अधिकांश स्तर पर आयात का पुनः निर्यात किया जाता है। भारत में वस्त्र और परिधान उत्पादों का आयात अप्रैल-नवम्बर वर्ष 2016 के दौरान 4.5 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर चालू राजकोषीय वर्ष की इसी अवधि के दौरान 4.9 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है, वर्ष 2015-16 दौरान 6 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2016 के दौरान 6.3 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है।

वस्त्र आयात में वर्ष 2014-15 की तुलना में वर्ष 2015-16 और वर्ष 2016-17 अप्रैल-नवम्बर की तुलना में वर्ष 2017-18 अप्रैल-नवम्बर हेतु निम्न समंक तालिका क्रमांक 02 में स्पष्ट किये गये।

तालिका क्रमांक 02  
भारतीय वस्त्र का आयात

| वर्ष                          | 2014-15                   | 2015-16                   | 2016-17                   | 2016-17<br>(अप्रैल-नवम्बर) | 2017-18<br>(अप्रैल-नवम्बर) |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| निर्यात                       | मिलियन अमरीकी<br>डॉलर में | मिलियन अमरीकी<br>डॉलर में | मिलियन अमरीकी<br>डॉलर में | मिलियन अमरीकी<br>डॉलर में  | मिलियन अमरीकी<br>डॉलर में  |
| कुल वस्त्र एवं<br>परिधान आयात | 6,073                     | 6,025                     | 6,312                     | 4,470                      | 4,918                      |

स्रोत - वाणिज्य विकास, एनआईसी एंड डीजीसीआई एंड, एस. कोलकाता (अनन्तिम आंकड़े).

**कपास की कच्ची सामग्री का उपयोग**

कपास एक सबसे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक (नकदी) फसलों में से है और यह कुल वैश्विक रेशा उत्पादन का लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा है। भारतीय वस्त्र उद्योग की कच्ची सामग्री की खपत या खर्च (उपभोग) में कपास का हिस्सा लगभग 59 प्रतिशत है। भारत में प्रतिवर्ष 300 लाख गांठों (170 किलोग्राम प्रत्येक) से अधिक कपास का उपभोग या खर्च होने लगा है। भारत ने लगभग 105 हेक्टेयर क्षेत्र में कपास की कृषि के मामले में विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है जो वैश्विक क्षेत्र का लगभग 35 प्रतिशत है। वर्ष 2016-17 के दौरान भारत में कपास उत्पादकता 540.80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रही। भारत में वर्ष 2016-17 में 345 लाख गांठों के उत्पादन के साथ विश्व का, कपास उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक एवं कपास का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है।

कपास उत्पाद लगभग 5.8 मिलियन कृषकों तथा कपास प्रसंस्करण एवं वाणिज्यिक व्यापार जैसे सम्बन्धित क्रियाकलापों में 40-50 मिलियन लोगों की आजीविका को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। कपास उद्योग को सहायता प्रदान करने के लिए, भारत सरकार ने कपास के दो आधारभूत स्टेपल (रेशा) समूहों में, प्रथम मध्यम स्टेपल (रेशा की लम्बाई 24.5 एमएम से 25.5 एमएम) और द्वितीय लम्बी स्टेपल (रेशा की लम्बाई 29.5 एमएम से 30.5 एमएम) कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। वस्त्र मंत्रालय का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम भारतीय कपास निगम (सीसीआई) प्रचलित बीज (कपास) के मूल्यों के न्यूनतम समर्थन मूल्य स्तर का छू जाने पर न्यूनतम समर्थन मूल्य अभियान चलाने लिए भारत सरकार की एक प्रमुख एजेंसी है। कपास उत्पाद वर्ष 2017-18 (दिनांक 20.11.2017) की स्थिति के अनुसार के दौरान भारतीय कपास निगम द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत कपास की 2.12 लाख गांठों की खरीदी की गई। भारत में भारतीय वस्त्र उद्योग में कच्चे माल का उपभोग (खपत) में कपास उत्पाद और मानवनिर्मित रेशों तथा सूत के रेशों का अनुपात 60 अनुपात 40 है।


**भारत में कपास उत्पाद का उत्पादन एवं उपभोग (खपत खर्च)**

भारत में कपास की कृषि 3 अलग-अलग कृषि परिस्थितिकीय क्षेत्रों में की जाती है। प्रथम उत्तरी क्षेत्र इसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्य को शामिल किया गया है। दूसरा मध्य क्षेत्र जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र तथा ओडिशा राज्य को सम्मिलित किया गया है और तृतीय दक्षिणी क्षेत्र जिसमें तेलंगाना आन्ध्रप्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य को शामिल किया गया है। कपास की कृषि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा जैसे गैर-परम्परागत राज्यों में छोटे क्षेत्रों में भी की जा रही है। भारत ने स्वतन्त्रता के पश्चात् कपास के उत्पादन में एक गुणात्मक तथा गुणवत्तापूर्ण परिवर्तन किया है। गत दशकों के दौरान भारत में कपास का उत्पादन तथा उत्पादकता में काफी सुधार हुआ है। भारतीय कपास उत्पाद का एक अग्रणी उपभोक्ता भी है। गत पाँच वर्षों के दौरान भारत में कपास का उत्पादन तथा उपभोग को निम्नानुसार तालिका में स्पष्ट किया गया है -

तालिका क्रमांक 03  
भारत में कपास के उत्पादन तथा उपभोग

| लाख हेक्टेयर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में |         |        |
|---|---------|--------|
| वर्ष                                      | उत्पादन | उपभोग  |
| 2012-13                                   | 370     | 283.16 |
| 2013-14                                   | 398     | 299.55 |
| 2014-15                                   | 386     | 309.44 |
| 2015-16                                   | 332     | 315.28 |
| 2016-17 (पी)                              | 345     | 306.36 |
| 2017-18 (ई)                               | 377     | 334.00 |

चित्र क्रमांक 01  
भारत में कपास के उत्पादन तथा उपभोग



स्रोत - कपास सलाहकार बोर्ड की बैठक दिनांक 18.08.17 (पी) 2016-17 - अन्तिम,

(ई) 2017-18 - व्यापार स्रोत तथा सीसी आई शाखाओं से प्राप्त सूचना के अनुसार अनुमानित

#### भारत में कपास उत्पाद का रकबा (क्षेत्रफल/उत्पादकता)

भारत में कपास की कृषि के अन्तर्गत 122.35 लाख हेक्टेयर में कपास को क्षेत्रफल के साथ विश्व में पहला स्थान प्राप्त हुआ है अर्थात् 293.29 लाख हेक्टेयर में विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 42 प्रतिशत है। भारतीय कपास उत्पादन लगभग 62 प्रतिशत सिंचित क्षेत्रों में और 38 प्रतिशत सिंचित भूमियों पर उगाई जाती है। कपास

#### तालिका क्रमांक 04


#### भारत में कपास उत्पाद का क्षेत्रफल/उत्पादकता (किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में)

| वर्ष         | रकबा (क्षेत्रफल) | उत्पादन |
|--------------|------------------|---------|
| 2012-13      | 119.78           | 525     |
| 2013-14      | 119.60           | 566     |
| 2014-15      | 128.46           | 511     |
| 2015-16      | 122.92           | 459     |
| 2016-17 (पी) | 108.45           | 541     |
| 2017-18 (ई)  | 123.00           | 524     |

उत्पादकता में भारत, अमेरिका तथा चीन की तुलना में काफी पीछे है। व्यापार साधन और भारतीय कपास निगम शाखाओं से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2017-18 के दौरान यह देखा गया है कि भारत में कपास की उत्पादकता लगभग 525 से 530 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बनी रहने की सम्भावना है। गत 5 वर्षों में कपास की उत्पादकता निम्नानुसार समकों में स्पष्ट है -

#### चित्र क्रमांक 02

#### भारत में कपास उत्पाद का क्षेत्रफल/उत्पादकता



स्रोत - कपास सलाहकार बोर्ड की बैठक दिनांक 12.12.17

(पी) 2016-17 - अन्तिम, (ई) 2017-18 - व्यापार स्रोत तथा सीसी आई शाखाओं से प्राप्त फीडबैक से प्राप्त सूचना के अनुसार अनुमानित।

#### भारत में कपास का आयात एवं निर्यात

वर्तमान में कपास उत्पाद, भारत में स्वतन्त्र रूप से निर्यात योग्य वस्तु है। भारत प्रमुखतः चीन, वियतनाम, ताइवान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, आदि देशों को कपास उत्पाद का निर्यात करता है। ऐसे

ही वर्ष 2013-14 तक चीन भारतीय कपास रेशे का सबसे बड़ा आयातक बन जाने के पश्चात् यह भारतीय कपास रेशे का सबसे बड़ा उत्पादक तथा निर्यातक है। परन्तु कपास की लम्बी रेशे की किस्म का कम मात्रा में आयात किया जाता है, जो भारत में उपलब्ध नहीं है। निम्नलिखित तालिका क्रमांक 05 में गत पाँच वर्षों के आयात और निर्यात के समंक दिये गए हैं -

**तालिका क्रमांक 05****भारत में कपास उत्पाद का आयात एवं निर्यात**

(प्रत्येक 170किलोग्राम की गांठ लाख)

| वर्ष         | आयात  | निर्यात |
|--------------|-------|---------|
| 2012-13      | 14.59 | 101.43  |
| 2013-14      | 11.51 | 116.96  |
| 2014-15      | 14.39 | 57.72   |
| 2015-16      | 22.79 | 69.07   |
| 2016-17 (पी) | 30.94 | 58.21   |
| 2017-18 (ई)  | 17.00 | 67.00   |

**स्रोत** - कपास सलाहकार बोर्ड की बैठक दिनांक 12.02.17 (पी) 2016-17 - अन्तिम

(ई) 2017-18 - व्यापार स्रोत से प्राप्त फीडबैक से प्राप्त सूचना के अनुसार अनुमानित

मांग एवं पूर्ति का कपास का तुलन पत्र कपास 2017-18 (प्रत्याशित) लेन देन तालिका क्रमांक 06 में वर्ष (मौसम) 2014-15, 2015-16, 2016-17 और दिया गया है

**तालिका क्रमांक 06****मांग एवं पूर्ति का भारतीय कपास का तुलन पत्र****कपास वर्ष (मौसम) 2014-15, 2015-16, 2016-17 और 2017-18 तक**

(प्रत्येक 170किलोग्राम की गांठ लाख)

| विवरण                  | वर्ष     | 2014-15       | 2015-16       | 2016-17       | 2017-18       |
|------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>मांग</b>            |          |               |               |               |               |
| मिल खपत                |          | 278.06        | 270.20        | 262.66        | 288.00        |
| एसएसआई उपभोग (खपत)     |          | 26.38         | 27.08         | 26.20         | 27.00         |
| गैर वस्त्र उपभोग (खपत) |          | 5.00          | 18.00         | 17.50         | 19.00         |
| <b>कुल उपभोग (खपत)</b> |          | <b>309.44</b> | <b>315.28</b> | <b>306.36</b> | <b>334.00</b> |
| निर्यात                |          | 57.72         | 69.07         | 58.21         | 67.00         |
| <b>कुल मांग</b>        | (1)      | <b>367.16</b> | <b>384.35</b> | <b>364.57</b> | <b>401.00</b> |
| <b>पूर्ति</b>          |          |               |               |               |               |
| प्रारम्भिक स्टॉक       |          | 33.00         | 66.00         | 36.44         | 47.81         |
| फसल आकार               |          | 386.00        | 332.00        | 345.00        | 377.00        |
| आयात                   |          | 14.39         | 22.79         | 30.94         | 17.00         |
| <b>कुल पूर्ति</b>      | (2)      | <b>433.39</b> | <b>420.79</b> | <b>412.38</b> | <b>441.81</b> |
| <b>अंतिम स्टॉक</b>     | (1)-(2)= | <b>66.23</b>  | <b>36.44</b>  | <b>47.81</b>  | <b>40.81</b>  |

**स्रोत** - कपास सलाहकार बोर्ड की बैठक दिनांक 12.12.17 (पी) 2016-17 - अन्तिम

(ई) 2017-18 - व्यापार स्रोत से प्राप्त सूचना के अनुसार अनुमानित

**न्यूनतम समर्थन मूल्य (एसमएसपी) अभियान**

यह अभियान कपास उत्पाद को कृषकों से खरीदने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एसमएसपी) अभियान चलाने के लिए भारत सरकार द्वारा भारतीय कपास निगम (सीसीआई) को नामित किया गया है।

प्रत्येक वर्ष कपास उत्पाद मौसम (अक्टूबर से सितम्बर) प्रारम्भ होने से वर्ष कृषि मंत्रालय, भारत सरकार सलाहकार बोर्ड तथा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसपी) की सिफारिशों के आधार पर भारत में कपास उत्पादक कृषकों के प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से कपास के मध्यम लम्बी रेशे की किस्म (24.5 मिमि. से 25.5 मिमि. रेशे की लम्बाई और 4.3 से 5.1 माइक्रोनेयर मूल्य) तथा

लम्बी रेशे की किस्म (29.5 मिमि. से 30.5 मिमि. रेशे की लम्बाई और 3.5 से 4.5 माइक्रोनेयर मूल्य) दो आधारभूत समूहों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एसमएसपी) निर्धारित करता है।

कपास मौसम (वर्ष) 2017-18 के लिए कृषि मंत्रालय ने एफएक्यू ग्रेड की मध्यम (स्टेपल) रेशे हेतु 4020 रु. प्रति क्विंटल तथा लम्बी रेशे के कपास के लिए 4320 रु. प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एसमएसपी) निर्धारित किया गया है। कृषि मंत्रालय द्वारा वर्ष 2012-13 से वर्ष 2017-18 तक निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्नलिखित तालिका में स्पष्ट किया गया है :-

तालिका क्रमांक 07  
भारतीय कपास का तुलन पत्र

| वर्ष    | मध्यम रेशा (रेशे की लंबाई 24.5 एमएम से 25.5 एमएम तथा माइक्रोनेयर मूल्य 4.3 से 5.1) | लम्बी रेशा (रेशे की लंबाई और 29.5 से 30.5 एमएम और माइक्रोनेयर 3.5 से 4.3) |
|---------|--|---|
| 2012-13 | 3600   | 3900  |
| 2013-14 | 3700   | 4000  |
| 2014-15 | 3750   | 4050  |
| 2015-16 | 3800   | 4100  |
| 2016-17 | 3860   | 4160  |
| 2017-18 | 4020   | 4320  |

स्रोत - कृषि मंत्रालय, भारत सरकार एवं वस्त्र मंत्रालय

### निष्कर्ष

अतः उपरोक्त तथ्यों के द्वारा यह ज्ञात होता है कि भारतीय वस्त्र उद्योग का व्यापक क्षेत्र एक ओर हाथ से बने हुए क्षेत्र तथा दूसरी ओर पूंजी गहन मिल क्षेत्र तक फैला हुआ है। इन सभी क्रियाकलापों में विद्युतकरघा, होजरी तथा निटिंग क्षेत्र, हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र, सहित मानव निर्मित फाइबर (रेशा), कपास, रेशम, पटसन तथा ऊन जैसे फाइबरों की विस्तृत श्रृंखला भी शामिल है। वस्त्र उद्योग विनिर्माण उत्पादन का 10 प्रतिशत, भारत की सकल घरेलू उत्पाद में 2 प्रतिशत तथा भारत की निर्यात आय में 13 प्रतिशत का योगदान देता है। लगभग 45 मिलियन से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार देने वाला वस्त्र उद्योग देश में रोजगार सृजन के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है।

कपास की कृषि में विश्व का 20 प्रतिशत कीटनाशक उपयोग में आता है। कई क्षेत्रों में सिंचित कपास की कृषि से जल स्रोतों में कमी आ गई है। कई विकासशील देश के रसायनिक कृषक संकट में आ गये हैं। क्योंकि मृदा के उपजाऊपन में विशेष कमी आई है। इस परिप्रेक्ष्य में जैविक कृषि ही मृदा की उपजाऊ शक्ति को बचा सकता है और जैविक उत्पाद को प्रमाणीकरण कर अधिक कीमत दिला सकती है।

### शोध की समस्याएँ -

भारतीय सूती वस्त्र उद्योग की समस्याएँ निम्नलिखित हैं :-

1. विदेशी बाजार के खोने का खतरा जो उत्पादन लागत में निरन्तर वृद्धि में अन्य विकासशील देशों में सूती कपड़ा उद्योग के विकास तथा अन्य देशों की संरक्षणवादी नीतियों के कारण पैदा हुआ है।
2. भारत के लगभग 30 प्रतिशत कपड़ों के कारखानों की दशा खराब है क्योंकि देश में अनेक कपड़ों की मिले घाटे में चल रही है और इनसे प्रत्याशित उत्पादन एवं लाभ प्राप्त नहीं होता है।
3. भारत में सूती वस्त्र उद्योग प्रारम्भ से ही अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहा है। इसी कारण प्रतिवर्ष करोड़ों मीटर कपड़ा कम तैयार होता है।

4. सूती वस्त्रों के उद्योग भारत में कुछ स्थानों पर अधिक है और कुछ स्थानों पर न के बराबर है। जिसके कारण भी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
5. सूती वस्त्रों की मिलों की कार्यरत मशीनें, यन्त्र एवं उपकरण बहुत पुराने होने से लगातार घिसावट, टूट-फूट आदि होती रहती है। जिसके कारण कपड़ों के लागत व्यय बढ़ जाते हैं। जिसका प्रभाव कपड़ा उद्योग पर पड़ता है।
6. सूती वस्त्रों के कारखानों में निर्मित कपड़ों की किस्मों में धीरे-धीरे कमी आ रही है क्योंकि विदेशों की तुलना की जाए तो हमारे देश के बने वस्त्रों की गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं है और उनसे प्रतियोगिता करने में सक्षम नहीं है।
7. सूती वस्त्रों उद्योगों में यह सबसे बड़ी समस्या यह है कि मिलों में काम करने वाले श्रमिकों द्वारा हड़ताल, काम न करना, तालाबंदी आदि क्रियायें होने से उत्पादन प्रभावित होता है।
8. सूती वस्त्र उद्योग के मालिकों एवं कर्मचारियों के बीच तालमेल या सम्प्रेषण न होने से कुछ समस्याओं का समाधान नहीं होता है।
9. सूती वस्त्र उद्योग में कुछ अन्य समस्याएँ जैसे विद्युत आपूर्ति में बाधा, नयी-नयी मशीनों का होना, रासायनिक पदार्थों की कमी की ऊँची दरें, दोषपूर्ण प्रबन्धन और हाथकरघा उद्योग से प्रतिस्पर्धा आदि प्रमुख हैं।
10. भारतीय सूती वस्त्र उद्योग में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से चुनौती मिल रही है।

### शोध के सुझाव

#### सूती वस्त्र उद्योग हेतु महत्वपूर्ण सुझाव

भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) के अन्तर्गत नियोक्ता (मालिक) के 8.33 प्रतिशत अंशदान की मौजूदा प्रतिपूर्ति के साथ-साथ नए कामगारों के लिए कर्मचारी भविष्यनिधि (ईपीएफ) अंशदान के 3.67 प्रतिशत का वहन कर रही है। इस योजना के द्वारा स्थायी एवं अस्थायी कामगारों को काम



के घण्टों, मजदूरी, भत्तों एवं अन्य सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

सूती वस्त्र उद्योग की समस्याओं के निवारण के लिए निम्नलिखित प्रमुख सुझाव हैं :-

1. सूती वस्त्र उद्योगों के लिए कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता एवं समय पर पूर्ति होना चाहिए। लम्बे रेशे वाले कपास की पूर्ति की जानी चाहिए।
2. सूती वस्त्र उद्योग के अन्तर्गत बीमार मिलों का नवीनीकरण करना एवं आधुनिकीकरण करना आवश्यक है।
3. भारत सरकार द्वारा करों (जी.एस.टी.) एवं विभिन्न प्रकार के शुल्क जो लगाये जाते हैं उनमें छुट देना एवं उनके प्रोत्साहन के लिए उचित वित्तीय व्यवस्था करनी चाहिये।
4. सूती वस्त्र उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों द्वारा हड़ताल, घेराबन्दी, काम न करना, तालाबन्दी आदि की प्रवृत्तियों का प्रबन्धकों को प्रभावी ढंग से सामना करना चाहिए।
5. भारत में स्वचालित करघों का प्रतिशत विश्व में सबसे कम है इनको बढ़ाया जाना चाहिए।
6. कपड़ों की गुणवत्ता में विशेष सुधार होना चाहिए। जिसमें किस्मों का नियन्त्रण हो ताकि भारत से अधिक मात्रा में विदेशों को निर्यात किया जा सके।

उपरोक्त सुझावों के अलावा नये-नये बाजारों की खोज करना एवं उद्योग मालिकों का विदेशों में भ्रमण करना, लम्बे रेशे का कपास उत्पादन, उदार सरकारी नीति स्थापित क्षमता का अधिकतम उपयोग करना आदि उपायों के द्वारा इसकी समस्याओं का समाधान हो सकता है।

सूती वस्त्र उद्योग की समस्याओं के सुधार हेतु जो उपाय बताये गये हैं। सरकार मिल मालिक, कर्मचारी आदि, आपस में बात करके समस्याओं का निराकरण कर सकें तो निश्चित ही यह उद्योग अपने अतीत का गौरव प्राप्त करने में सक्षम होगा।

#### **भविष्य में सम्भावनाएँ**

मध्यप्रदेश में जैविक उत्पादों के लिये बहुत अच्छी सम्भावनाएँ हैं, मध्यप्रदेश सबसे बड़ा जैविक कपास उत्पादक राज्य होने की वजह से पश्चिमी देशों में जैविक वस्त्र उत्पादों की सम्भावना है। इससे टेक्सटाइल कम्पनियों तथा फुटकर कम्पनियों को अपने जैविक उत्पादों के निर्यात में काफी मदद मिल सकती है। लोगों में पर्यावरण तथा स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण भारत में जैविक खाद्य उद्योग 20 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। इससे जैविक खाद्यान्न से जुड़ी कम्पनियों को अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। भारत में 47 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में जैविक कृषि की जाने लगी है। मध्यप्रदेश में वर्ष 2013-14 में जैविक कृषि 3,78,572, हेक्टेयर में की गई है।

रासायनिक खादों का अन्धाधुन्ध उपयोग करने से कृषि के उत्पादों से स्वास्थ्य को होने वाले नुकसानों के कारण दुनिया में जैविक उत्पादों की माँग लगातार बढ़

रही है। जैविक खाद्यान्न एवं पेय पदार्थों का सबसे बड़ा बाजार अमेरिका है। इसके विपरीत सबसे ज्यादा जैविक कृषि उत्पादन विकासशील देशों द्वारा किया जा रहा है। भारतीय सूती वस्त्र उद्योग की सम्भावनाएँ निम्नानुसार बिन्दुओं से स्पष्ट हैं :-

1. भारत में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आगमन से एवं अन्य कारणों से भारत में कपास की अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता स्पर्धा में वृद्धि हो रही है। भारतीय कपास निगम लिमिटेड भी आने वाले वर्षों में विभिन्न योजनाएं संचालित करने की तैयारी कर रहा है।
2. भारत कपास उत्पादन के क्षेत्र में अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर दूसरे बड़े कपास उत्पादन उपभोक्ताओं एवं (नेट एक्सपोर्टर) निर्यातकर्ता के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
3. श्रम कानूनों में सुधार करे कामगारों एवं कर्मचारियों के लिए ओवरटाइम (अतिरिक्त समय) सीमा को 50 घण्टे से बढ़ाकर 100 प्रति तिमाही करना जिससे कामगारों की आय में वृद्धि होगी।
4. राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड (एनटीसी) मिलों का गैर-अर्धक्षमता स्थलों से अर्धक्षमता स्थलों पर स्थानान्तरण करना तथा एकीकरण करना।
5. राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड का एक पूर्णतः विस्तृत (ऊर्ध्वाधर) रूप में एकीकृत कम्पनी बनाना है अर्थात् कताई से वस्त्र तैयार करने की योजनाएं अधिक सराहनीय होगी।

#### **सन्दर्भ ग्रन्थ सूची**

1. पाटीदार संतोष कुमार, सदाबहार खेती (जैविक खेती पर सम्पूर्ण जानकारी), कृषक जगत, 14, एम. पी. नगर, भोपाल, जयपुर, रायपुर, तृतीय संस्क. 2012.
2. गौतम राकेश एवं भदौरिया, जितेन्द्र सिंह, मध्यप्रदेश एक परिचय, टाटा मेग्रा हिल एजुकेशन लिमिटेड, न्यू दिल्ली, वर्ष 2016.
3. पटेल किशोर, मध्यप्रदेश सामान्य ज्ञान, महावीर पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स 237, विश्वकर्मा नगर, इन्दौर, वर्ष 2015.
4. कृषक जगत, जैविक खेती समृद्ध कृषक, कृषक जगत, एम. पी. नगर, भोपाल, वर्ष 2014.
5. जैन डॉ. बी. एल., द्विवेदी ज्ञान प्रकाश, फसल उत्पादन एवं उद्यानशास्त्र, युगबोध प्रकाशन रायपुर, छत्तीसगढ़, वर्ष 2006-2007.
6. सिंह नवल किशोर, भारतीय अर्थशास्त्र, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, वर्ष 2016.
7. सिंह डॉ. फुन्दन एवं सिंह डॉ. महेन्द्र, कपास, कृषक जगत, भोपाल, जयपुर, रायपुर, वर्ष 2009.
8. शर्मा डॉ. श्यामगोपाल, जैन डॉ. रवि के., पारीक डॉ. गोविन्द, शोध प्रणाली एवं सांख्यिकीय तकनीकें, रमेश बुक डिपो, जयपुर - नई दिल्ली, वर्ष 2010.
9. श्राफ विनोदलाल न., कपास कीट प्रबंधन, कृषक जगत प्रकाशन 10 मई 2005, नई दिल्ली, वर्ष 2005.
10. गोयल डॉ. एम. के., पर्यावरण शिक्षा, विनोद पुस्तक मन्दिर कार्या. डॉ. रांगेय राघव मार्ग, आगरा-2 बिक्री केन्द्र हॉस्पिटल रोड, आगरा -3, चतुर्थ संस्क. वर्ष 2007.